न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00117 (117/2019) 223 आरटीएक्ट

विजय कुमार पुत्र पोकरराम जाति सैनी निवासी भादरा हाल आबाद कृष्णा कम्पोनेन्ट दु0 –6 फस्ट फलौर–1568, भागीरथ प्लेस चांदनी चौक दिल्ली। –अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2018 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0 सं0 147/2016 बअनवानी सरकार बनाम विजय कुमार

श्री विजय कौशिक अधीवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश कौशिक अधीवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक:– 08.10.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि ग्राम किराड़ाबड़ा के खसरा सं0 12/6, 338/1/4 की कुल 1.518 है0 भूमि वर्तमान में विजय कुमार पुत्र. पोकरमल सैनी साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लिया गया है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बन्द है। प्रतिवादी विवादित भूमि के खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि के लिए 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का उल्लंघन है जो दण्ड का भागी है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार [illegible] में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय [illegible] बा को सिवाय चक घोषित किया एवं तथा [illegible] प्रश्नगत भूमि का क[illegible]क सरकार लिए जाने के आदेश दिये एवं अ[illegible]गण को बेदखल करने [illegible]श दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधीवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नही दिया गया। विचारण न्यायालय ने साधारण नोटिस जारी किये थे जिस पर यह रिपोर्ट आई की अपिलाण्ट परिवार सहित दिल्ली निवास कर रहा है जिस पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर दिल्ले पर नोटिस पेशी 01.05.2018 के लिए दिनांक 25.04.2018 को जारी किया गया परन्तु यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.05.2018 को पेशी 01.05.2018 के लिए ही भेजा गया जबकि दिनांक 25.04.2018 अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे जाने का कोई आदेश ही न्यायालय ने नहीं दिया था। अपीलाण्ट का दिल्ली का पता भी अधूरा अंकित किया गया है नोटिस में जो पता है वह मात्र मकान नं0 1568 सचदेवा भवन नई दिल्ली दर्ज है जो अधूरा था अपीलाण्ट को उक्त जारी नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि अपीलाण्ट का सही पता अपील में दर्ज अनुसार है। अपीलाण्ट को सम्यक रूप से तामील नहीं हुई है। तामील विधि सम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर भट्टा चल नहीं रहा है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ही स्पष्ट होता है।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष वाद जाब्ता दिवानी के प्रावधानों के कतई विपरीत प्रस्तुत किया था ना तो दावा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया ना ही दावा का सत्यापन किया गया था ना ही साक्ष्य अधिनियम के तहत जिस रिपोर्ट को आधार निर्णय बनाकर निर्णय व डिक्री पारित की है उस रिपोर्ट को ही सिद्ध किया गया है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रश्नगत वाद सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को है ना कि उपखण्ड अधिकारी को। इसे भी दरकिनार कर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दावा सिद्ध नहीं होने के कारण जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत नहीं है। धारा 177 के अन्तर्गत यदि अप्रार्थी बिना शुल्क अदा किये अकृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग करता है तो लागू होते हैं जबकि अप्रार्थी भट्टा का संचालन स्वीकृति अनुसार कर रहा है। अपीलाण्ट द्वारा ईन्ट भट्टा की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। धारा 177 आर.टी.एक्ट के [illegible] की इस अधिनियम की आगामी धारा 178 में वर्णित किया गया है। धारा 177 आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत मात्र बेदखली का ही प्रावधान है। इस धारा के अन्तर्गत संबंधित भूमि को सिवाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

चक दर्ज करने के प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को आराजीराज दर्ज करने का आदेश विधि विरूद्ध व अधिकारिता रहित पारित किया है। धारा 178 के अन्तर्गत भी यदि किसी कृषक ने अपनी भूमि को किसी अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में भी लिया गया है तो उसे ऐसे अहितकार्य कृत्य को बन्द करने एवं पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है तथा तीन माह का समय व्यतीत होने के बाद ही धारा 177 आरटीएक्ट के अन्तर्गत पारित आदेश निष्पादनीय हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 178 के प्रावधानों की पालना नहीं की है तथा अपीलाधीन आदेश उक्त विधिक स्थिति के अनुसार अनिष्पादनीय है। विद्वान अधीवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 686, आरआरडी 1981 एनयूसी पेज 7, आरआरडी 1981 पेज 62, आरएलडब्ल्यू 1963 पेज 423 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। किसी खातेदार की भूमि सिवाय चक घोषित कर बेदखल करना कठारतम दण्ड है तथा निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था निर्णय का ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जावे तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

5. विद्वान राजकीय अधीवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू रूपान्तरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) हेतु प्रयोग में लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान कास्तकारी अधिनिमय के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों के मद्दे नजर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है [illegible] के आवेदन पर अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि संपरिवर्तन करवाये बिना कृषि कार्य से भिन्न कार्य ईंट भट्टा में उपयोग में लेने के कारण प्रश्गनत कृषि भूमि को सिवाय चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

भूमि घोषित करने एवं कब्जा बहक राज्य सरकार लेकर अप्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे सम्मन अधूरे पते पर भिजवाये गये रजिस्टर्ड सम्मन के पत्रावली में आदेश नहीं दिये गये थे। यदि किसी कृषक ने अपनी भूमि को किसी अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में भी लिया गया है तो उसे ऐसे अहितकार्य कृत्य को बन्द करने एवं पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है तथा तीन माह का समय व्यतीत होने के बाद ही धारा 177 आरटीएक्ट के अन्तर्गत पारित आदेश निष्पादनीय हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 178 के प्रावधानों की पालना नहीं की है तथा अपीलाधीन आदेश उक्त विधिक स्थिति के अनुसार अनिष्पादनीय है। विधि सम्मत तामील नहीं हुई, उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मूल वादपत्र संलग्न हैं। उसके साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हैं ना ही उसे अटेस्टेड करवाया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद चलने योग्य ही नहीं था। फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय में नया वाद प्रस्तुत कर सकता है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08..2018 निरस्त किये जाते हैं एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। रेस्पोडेण्ट नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर।

11. निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

8/12/20

(करतार सिंह पूनीया, आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00117 (117/2019) 223 आरटीएक्ट

विजय कुमार पुत्र पोकरराम जाति सैनी निवासी भादरा हाल आबाद कृष्णा कम्पोनेन्ट दु0 –6 फस्ट फलौर–1568, भागीरथ प्लेस चांदनी चौक दिल्ली। –अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2018 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0 सं0 147/2016 बअनवानी सरकार बनाम विजय कुमार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधीवक्ता अपीलाण्ट, श्री राजेश कौशिक अधीवक्ता रेस्पो0 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.. 2018 निरस्त किये जाते हैं एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। रेस्पोडेण्ट नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 08.10.2020 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनीयॉ आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner